न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 403/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

दीपक तोपनो – विक्रेता

जिरामनी भेंगरा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.03.19	**आदेश** आवेदिका दीपक तोपनो पिता मसीह प्रकाश तोपनो ग्राम–दियांकेल, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने जिरामनी भेंगरा पति मुन्ना भेंगरा ग्राम–नवाटोली जरिया, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है। ग्राम: दियांकेल; थाना नं0: 51; खाता नं0: 03; खेसरा सं0: 2206; रकबा (एकड में): 0.07 आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोरपा से भूमि विक्री की अनुमति हेतु जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 187 दिनांक 16.02.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के पंजी–II रैयत अंधरियस पहान वो मसीह पहान है। पंजी–II रैयत जीवित है। उनके पुत्र को जमीन बेचने की अनुमति हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 05/3/19 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी। 05/3/19 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
दियांकेल	51	03	2206	0.07